बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/ अ0प्र0–4–08/2015 1045 /पटना, दिनांक :– 17.6.22

श्री आनन्द कुमार झा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को कार्य प्रमंडल, बक्सर अतंर्गत नाबार्ड योजना के अधीन खतीबा मोड़ से सरैया भाया कुकटा हाई स्कूल पथ में बालु भराई मद में बिना कार्य कराये संवेदक को रू0 3,22,272/–का अधिकाई भुगतान किये जाने तथा इस संबंध में इटाढ़ी थाना कांड संख्या–50/2008 दर्ज किये जाने के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–396 दिनांक 22.12.2008 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

2. उक्त के आलोक में श्री झा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–236 दिनांक 23.08.2010 द्वारा श्री झा को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया। साथ ही निलंबन अवधि का विनियमन अपराधिक मामले के फलाफल के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार श्री झा दिनांक 22.12.2008 से 22.08.2010 तक निलंबित रहे।

3. मामले में श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 13.07.2015 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत संकल्प ज्ञापांक–68 अनु0 दिनांक 11.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री उपेन्द्र किशोर, सहायक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित कियां गया। साथ ही विभाग द्वारा उक्त योजना में अधिकाई भुगतान की राशि समानुपातिक रूप से कुल रू0 1,07,404/–की वसूली श्री झा से करने का निर्णय लिया गया।

4. मामले में दर्ज इटाढ़ी थाना कांड संख्या–50/2008 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर Criminal Miscellaneous case No.- 43192/2008 में दिनांक 08.10.2013 को पारित आदेश द्वारा उक्त अपराधिक वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर के दिनांक 14.03.2011 के संज्ञान आदेश सहित को निरस्त कर दिया गया।

5. श्री झा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5516 अनु0 दिनांक 31.12.2019 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में मामले में दर्ज इटाढ़ी थाना कांड संख्या–50/2008 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निरस्त किये जाने एवं बाद में बालू भराई मद की अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सासाराम द्वारा की गयी जॉच में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं किये जाने के आधार पर आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

6. जॉच प्रतिवेदन की मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से समीक्षा करायी गयी। समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होने का मंतव्य दिया गया। श्री झा इस बीच दिनांक 31.10.2020 को सेवानिवृत हो गये।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री आनन्द कुमार झा, तदेन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–68 अनु0 दिनांक 11.01.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए उन्हें आरोप से मुक्त किये जाने तथा निलंबन अवधि दिनांक 22.12.2008 से 22.08.2010 तक का पूर्ण वेतन भत्ते आदि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर उक्त राशि में से श्री झा से वसूलनीय राशि रू० रू0 1,07,404/– का समायोजन करते हुए निलंबन अवधि को विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. अतः उक्त के आलोक में श्री आनन्द कुमार झा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–68 अनु0 दिनांक 11.01.2019 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित करते हुए प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

9. साथ ही श्री झा के निलंबन अवधि दिनांक 22.12.2008 से 22.08.2010 तक का पूर्ण वेतन भत्ते आदि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं उक्त राशि में से श्री झा से वसूलनीय राशि रू० रू0 1,07,404/– का समायोजन करते हुए निलंबन अवधि को इस रूप में विनियमित किया जाता है कि उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3.6.22

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/ अ0प्र0–4–08/2015 1046 /पटना, दिनांक :– 17.6.22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.6.22

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/ अ0प्र0–4–08/2015 1048 /पटना, दिनांक :– 17.6.22

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर/सहरसा/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री आनन्द कुमार झा, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पताः–मोहल्ला–चमारीचक, रामदेवन स्कूल के पास, लोटस कॉपी, डाकघर+थाना–दानापुर, जिला–पटना, राज्य–बिहार, पिनकोड–801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.6.22

उप सचिव